



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (भूगोल) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने के कारण उनकी सेवाएं निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से समाप्त की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं Employee ID	पदस्थापन स्थान राउमावि./राबाउमावि.	मृत्यु प्रमाण-पत्र क्रमांक	जन्मतिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रेखा बाई मीना (RJKA201226008 644)	हिण्डौन सिटी (212557) करौली	08110001000062802295 /2020	12.06.1986	03.08.2020	03.08.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवा समाप्ति/2017/335

दिनांक 23/09/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग राजस्थान,
- उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- संबंधित प्रधानाचार्य।
- संबंधित अश्रित स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/एसीआर प्रभाग को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक श्रीमती रेखा बाई मीना डीपीसी वर्ष- 2017-18 में पदोन्नत द्वितीय श्रेणी (वरि. क्रमांक 4914, वरि. अवधि 2012-13) की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान